भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 343
मंगलवार, 5 दिसंबर, 2023 /14 अग्रहायण, 1945 शक को उत्तरार्थ

बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा

343. श्री राजू बिष्टः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजनार्थ लेखापरीक्षकों का कोई पैनल गठित किया गया है**;** और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा और सत्तानवा संविधान संशोधन के उपबंधों की अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण**,** पारदर्शिता वृद्धि**,** जवाबदेही में बढ़ोतरी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार**,** इत्यादि हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 को क्रमश: दिनांक 03.08.2023 और दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है ।

बहुराज्य सहकारी समितियों की संपरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपबंधों को विशेष रूप से शामिल किया गया है:

i. 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर/जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल द्वारा कॉनकरंट संपरीक्षण का उपबंध शामिल किया गया है । कॉनकरंट संपरीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितताएं**,** यदि कोई हो**,** का जल्द पता लग सकेगा और तदनुसार तत्काल सुधार किया जा सकेगा ।

ii. वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संपरीक्षकों के निम्नलिखित दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं:

   1) पांच सौ करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

   2) पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक और कॉनकरंट संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

iii. केंद्रीय सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए लेखांकन व संपरीक्षण मानकों के निर्धारण हेतु भी एक उपबंध शामिल किया गया है ।

*****